

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-०७/२०१७-१८

United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch

बनाम्

M/s Jai Mata Di Enterprises & Oths.

—: आदेश :-

02.08.2019

प्राधिकृत पदाधिकारी, United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch, Bokaro द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत 1. M/s Jai Mata Di Enterprises Prop. Arun Kumar Singh s/o Ram Sharan Singh, H.No.-95 At.- Gorabali, Balidih, Bokaro एवं Smt. Usha Devi w/o Ram Sharan Singh, क्वा० सं०-२१२० सेक्टर-९/डी०, बी०एस०सिटी के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch, Bokaro की ओर से प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Hypothecation of Goods & Equitable Mortgage of Land and Building in the name of Smt. Usha Devi w/o Ram Sharan Singh vide Sale Deed No. 443/434, Dt. 31.01.1996) को गिरवी रखते हुए बैंक से रुपये 19,83,000.00 (उन्नीस लाख तिरासी हजार) ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1 and 2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की मांग की गई है।

द्वितीय पक्ष सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है। उनके द्वारा अब तक अपने बचाव में किसी भी प्रकार का कारण-पृच्छा भी दाखिल नहीं किया गया है।

प्रथम पक्ष की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के

-7-

लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी का अनुपस्थित रहना तथा अपने बचाव में किसी भी तरह का कारण-पृच्छा दाखिल नहीं किया जाना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch, Bokaro द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो